

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

177 / 2015
24-11-2015

श्योजी पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी डोरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज)
..... अपीलाण्ट

बनाम
तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक (राज.) रेस्पोजेण्ट
अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 22-09-2015 मिसल संख्या 1102 / 15

उपस्थित: (1) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 01-07-2016

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दिनांक 22.09.2015 द्वारा ग्राम डोरिया तह० मालपुरा के खसरा नम्बर 45/1 रकबा 53.13 बीघा में से रकबा 0.10 बिस्वा भूमि चरागाह पर अपीलाण्ट द्वारा सम्मत 2072 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 50/-रु० पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस बुलवाया जाकर अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।
3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजों में नकल निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 22.9.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा-2016 में पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 45/1 आबादी भूमि के पास है। अपीलाण्ट ग्राम डोरिया का मूल निवासी है, काश्तकार है। अपीलाण्ट ने चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार को मौके पर आबादी व चरागाह की पैमाईस करवाकर सीमा कायम करवाने का निवेदन किया किन्तु उन्होंने इस बाबत कोई ध्यान नहीं दिया एवं पटवारी की रिपोर्ट को बिना सीमाज्ञान करवाये निर्णय पारित कर दिया, पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया, निर्णय जो पारित किया गया है वह साईक्लोस्टायल पर प्रिन्ट किये गये खाली पेपर पर खाली जगहों में भरकर दिया है जो किसी भी रूप में निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

वातावरत जिला कलेक्टर
टोंक

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी सम्वत 2067 में विवादित भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था। सम्वत 2072 में पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो बयान पटवारी हल्का एवं नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2067 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.15 उचित है एवं अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का तुन्देडा ने अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2072 में ख0न0 45/1 रकबा 53.13 बीघा भूमि में से 0.10 बिस्वा भूमि चरागाह वाके ग्राम डोरिया तह0 मालपुरा पर अनाधिकृत रूप से मकान, बाडा बनाकर किये गये अतिक्रमण पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.15 द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट को पूर्व में किस ख.नं0 की कितनी भूमि से पूर्व में कौन से वर्ष में किस मिसल नम्बर द्वारा कब बेदखल किया गया। पत्रावली में धारा 91 के नोटिस में किस वर्ष में भूमि पर अतिक्रमण करने या किस वर्ष में पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है का उल्लेख नहीं है, बयान पटवारी हल्का में भी अपीलान्ट को भूमि से कब भौतिक रूप से बेदखल किया था अथवा किसी वर्ष अतिक्रमण किया था का अंकन नहीं है। भौतिक रूप से बेदखल करने के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय से यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है या उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो। उक्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि सिविल कारावास जैसी कठोर सजा देने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अपीलान्ट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 22.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 01.07.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक - राज0

